

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 21/08/2025

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 20.08.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना जंगीपुर पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.08.2025 को उ0नि0 जमालुद्दीन मय हमराह के मु0अ0सं0 167/25 धारा 69 बीएनएस से सम्बंधित वांछित अभियुक्त जितेन्द्र कुमार पुत्र बलवन्त राम निवासी चौकडी थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

जितेन्द्र कुमार पुत्र बलवन्त राम निवासी चौकडी थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 167/25 धारा 69 बीएनएस थाना जंगीपुर गाजीपुर

02- थाना रेवतीपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 103/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.08.2025 को उ0नि0 जितेन्द्र कुमार, उ0नि0 श्री बृजभूषण दुबे मय हमराह के साथ अभियुक्त सोनू यादव उर्फ मुलायम यादव पुत्र श्री हरिहर यादव निवासी ग्राम गोपालपुर थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त:-

सोनू यादव उर्फ मुलायम यादव पुत्र श्री हरिहर यादव निवासी ग्राम गोपालपुर थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 26 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 103/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर ।

03- थाना रामपुर माँझा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0086/2025 धारा 309(4) , 317 (2) व 61 (क) (ख)

बीएनएस से संबंधित 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.08.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना रामपुर माँझा, उ0नि0 मोतीलाल मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 086/2025 धारा 309(4) ,317 (2) व 61 (क) (ख) बीएनएस से संबंधित प्रकाश में आए 02 अभियुक्तगण 1. रोहित चौधरी पुत्र विनोद चौधरी नि0 ग्राम सरौली थाना करण्डा जनपद गाजीपुर उम्र 22 वर्ष 2. ओमकार प्रजापति पुत्र कैलाश प्रजापति नि0 ग्राम धरवां थाना रामपुर माँझा जनपद गाजीपुर उम्र 23 वर्ष को मुखबीर खास की सूचना पर चकेरी बुढ़उ बाबा मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

1. रोहित चौधरी पुत्र विनोद चौधरी नि0 ग्राम सरौली थाना करण्डा जनपद गाजीपुर उम्र 22 वर्ष
2. ओमकार प्रजापति पुत्र कैलाश प्रजापति नि0 ग्राम धरवां थाना रामपुर माँझा जनपद गाजीपुर उम्र 23 वर्ष

बरामदगी-

01- कुल 90,000 रुपये

02- 01 मोटरसाइकिल (UP61AE3541)

4. “ऑपरेशन कन्विक्शन”

“श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर पॉक्सो एक्ट के मुकदमें के अभियुक्त को 14 वर्ष के कठोर कारावास व 30,000/- रू0 अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा।”

दिनांक 20.08.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना जमानियां जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 671/16 धारा –376, 506 भादवि व धारा 6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त मन्नू यादव उर्फ मोनू यादव पुत्र शिवमूरत यादव निवासी बघरी, थाना जमानियां, जनपद गाजीपुर को मुकदमा उपरोक्त में धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 14 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000/- रू0 का अर्थदण्ड तथा धारा 506 भादवि में 02 वर्ष के साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

**पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर**